



दीनदयाल उपाध्याय गोरवपुर विश्वविद्यालय, गोरवपुर - 273009

पत्रक : सम्बद्धता/2021/(8)/ 2550

दिनांक : 31 / 07 / 2021

सेवा मे.

प्रबन्धक / प्राचार्य, विद्यार्थी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदीशपुर बरडीहा, कुमांनगर।

विषय : स्पष्टितपौत्र योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत शीठेड़ा द्विवर्षीय पाठ्यक्रम में 100 सीट की स्थाई सम्बद्धता पर विचार में सम्बद्धता प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में अधिगत करना है कि मानवीय कार्यपरिवर्त की स्त्रीकृति की प्रत्याशा में उत्तर प्रदेश साज्ज विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथा राजीवित उत्तर प्रदेश साज्ज विश्वविद्यालय द्वितीय सांख्यिक अधिनियम 2014) की धारा 37(2) के अन्तर्गत समिति ने महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत कागजातों, सम्बद्धता से सम्बन्धित अभिलेखों एवं शासनादेशों के अनुसार परिवेश किया गया। परीक्षाप्रयोगान्तर्गत निम्नलिखित अभिलेखों एवं शासनादेशों के पूर्ण करने, सार्वीय अधिकारक शिक्षा परिवेश द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों एवं मानकानुसार संकाय सदस्यों का अनुसार प्रदान विश्वविद्यालय द्वारा करा लिए जाने के आधार पर शार्तों के अन्तर्गत इतिहासपौत्र योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत शीठेड़ा (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम में 100 सीट वैधिक सत्र 2021-2022 हेतु सम्बद्धता प्रदान करने की संस्कृति की जाती है।

उपर्युक्त के क्रम में समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि सार्वीय अधिकारक शिक्षा परिवेश के द्वारा निर्धारित मानकों/नियमों को पूर्ण किये जाने के आधार पर ही शीर्षक सत्र 2021-2022 हेतु तथा उपर्युक्त/अन्य कमियों को पूर्ण करने, सार्वीय अधिकारक शिक्षा परिवेश के द्वारा निर्धारित मानकों/नियमों को पूर्ण किये जाने के आधार पर ही शीर्षक सत्र 2021-2022 से एक वर्ष तक कमियों की पूर्णी के प्रस्ताव दिनांक 01.07.2021 से द्वारा द्वारा द्विवर्षीय प्रदान किये जाने की संस्कृति की जाती है।

1. महाविद्यालय, सम्बद्धता समिति द्वारा द्विवर्षीय क्रमांक अन्यतर अधिकारक शिक्षा परिवेश के अनुसार प्राप्त कराया जाएगा।

2. महाविद्यालय द्वारा प्राचार्य/प्रबन्धकारी यहां करा करने के लिये विद्युत पद, कार्यालय यहां करा करने के लिये विद्युत पद, कार्यालय यहां करा करने के लिये विद्युत पद, संविदा पत्र एवं संविदा पत्र विश्वविद्यालय में उपलब्ध कराया जायेगा तथा इनका बैंक के माध्यम से बैंक सुनिश्चित कराया जायेगा।

3. सार्वीय शासनादेश सत्रांग-2851/सत्रांग-2-2003-16(92)/2002 दिनांक 02 जुलाई, 2003 एवं शासनादेश सत्रांग 4106/सत्रांग-2-2007-2(494)/2007 दिनांक 17.10.2007 तथा शासनादेश सत्रांग 2112/सत्रांग-2-2008-2(494)/2007 दिनांक 09 मई, 2008 में उत्तिवित सुनिश्चित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुनिश्चित शासनादेशों का पालन करेंगी।

4. रिट यांकिका सत्रांग 61859/2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षाकों का अनुसूचना/नियमित के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश सत्रांग 522/सत्रांग-2-2013-2(650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

5. उत्तिवित सत्रांगों/महाविद्यालय की संशोधन सम्बद्धता आदेशों में द्विवर्षीय कमियों की पूर्णी से सम्बन्धित अभिलेख महाविद्यालय एक माह में पूर्ण करने की सूचना विश्वविद्यालय की द्वारा दिया जायेगा। संस्कृत विश्वविद्यालय के कूलसंचय को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्त प्रेरित कराया कि सत्रांग समय-समय पर निर्गत अन्य सुनिश्चित शासनादेशों का पालन करेंगी।

6. यदि संस्कृत द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमान्वयनीय/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शार्तों एवं मानकों की पूर्णीता तथा उनकी निर्माणता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश साज्ज विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्रक्रियान्वयनों के अन्तर्गत सत्रांग का प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

7. सत्रांग द्वारा उत्तर प्रदेश साज्ज विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्गत अन्य सुनिश्चित दिशा-निर्देशों को पूर्ण कर दिया जायेगा। अन्यथा अगले सत्र से छात्रों का प्रवेश प्रतिवर्तित होगा।

8. सत्रांग का संचालन व्यावसायिक आधार पर नहीं किया जायेगा।

9. सत्रांग शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्गत दिये जाने वाले समस्त आदेशों का सम्बन्ध अनुपालन सुनिश्चित करायेंगी।

10. सत्रांग विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश क्षमता से अधिक प्रवेश करायी नहीं करेंगी तथा विद्यार्थियों से शासन/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शिक्षण व अन्य शुल्क ही प्राप्त करेंगी।

11. सत्रांग प्रतिसर को शैक्षणिक मुकुट रखेंगी।


12. सत्रांग स्वविलप्तपौत्र पाठ्यक्रमों के संचालन के सम्बन्ध में अधिनियम/परिवेशम/अधिकारी/शासनादेशों में दी गई लाइस्य/निर्देशों का सम्बन्ध अनुपालन सुनिश्चित करायेंगी।

13. महाविद्यालय की अस्थाई सम्बद्धता की संस्कृते इस शीर्षक के साथ की जाती है कि महाविद्यालय को दी जाने वाली सम्बद्धता में यदि कोई कैपायिक इक्विटी अध्यकारी नियमों का उल्लंघन नियमित या अस्थाई कार्यवाही की जायेगी।

14. महाविद्यालय द्वारा एजार्डीएसएचई 2018-19 एवं 2019-20 का पार्श्व पूरित कर दिया जायेगा अस्थाई की विधियों में सम्बद्धता वापस लेने की नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

15. महाविद्यालय एनजीसीटीई 2018 समय-समय पर दिये गये निर्देशों का अनुपालन करेगा, अन्यथा विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सम्बद्धता रखत निरस्त मानी जायेगी।

मतदायी,


(विशेष व्रप्रसाद)
कुलसंचय

कुलसंचय

प्रशासकान्व संस्था : सम्बद्धता/2021/.....(दिनांक)

प्रतिविधि, निर्माणेवित को सूचनार्थ एवं आधारक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1). प्रमुख संचय, उच्च शिक्षा अनुसार-6, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ। (2). निदेशक, उच्च शिक्षा उपर्योग इलाहाबाद। (3). शोजीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर।

(4). अधिकारी, शिक्षा संकाय/परीक्षा नियंत्रक/प्राचारी/अधिकारक, परीक्षा सामान्य, दीलूडूल 2010 गोरखपुर। (5). प्रमाणी/अधिकारक, कर्मटी को इस आशय से प्रेरित कि मानवीय कार्यपरिवर्त के अनुपालन हेतु इसे आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का लक्ष करें। (6). प्रमाणी संचय कुलपाति जी के सूचनार्थ। (7). वैयो संस्कृत कुलसंचय कार्यालय। (8). गार्ह काईल (सम्बद्धता)।